तेंदुए के हमले में किशोर की मौत

खेत में फसल की निगरानी के दौरान हुई घटना

बहराइच, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

बहराइच जिले में कतर्नियाघाट वन्य क्षेत्र के एक गांव में तेंदुए के हमले में 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। प्रभागीय वनाधिकारी बी शिवशंकर ने शनिवार को बताया कि मोतीपुर वन रेंज अंतर्गत ग्राम सोमईगौढ़ी मजरा मनोहरपुरवा निवासी अरविंद कुमार (14) परिवार के साथ शुक्रवार देर शाम मक्के के खेत की रखवाली के लिए गया था।

उन्होंने बताया कि शाम करीब सात बजे खेत में बैठे तेंदुए ने अरविंद पर हमला कर दिया और उसे दबोच कर ले जाने लगा, इसपर परिजनों व आसपास मौजूद ग्रामीणों ने शोर मचाते हुए तेंदुए को डराने का प्रयास किया जिससे वह किशोर को छोड़कर भाग गया। उन्होंने बताया कि परिजन घायल किशोर को पास के सरकारी अस्पताल ले जा रहे थे लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। प्रभागीय वनाधिकारी ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। कानूनी औपचारिकताएं पूरी कराकर शीघ्र ही मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि तेंदुए को पकड़ने के लिए हमने गांव के इर्द-गिर्द तीन पिंजरे लगाए हैं। इलाके की 24 घंटे निगरानी की जा रही है। डीएफओ ने बताया कि जंगल में अप्रैल से लेकर अब तक मानव वन्यजीव संघर्ष में तीन की मौत हो चुकी हैं।

पिता की फावड़ा मारकर हत्या

बहराइच के नवाबगंज इलाके में स्थित एक ग्राम में खेत में काम करते वक्त पुत्र व पिता में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। खेत में मौजूद अन्य लोगों ने दोनों को शांत कराया। थोड़ी देर बात दोनों घर आ गए। तभी बेटे ने पिता पर फावड़े से हमला कर दिया और भाग गया।

विहिप नेता को अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी

उरई, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

विहिप के पूर्व जिला अध्यक्ष को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी।

एसपी इरज राजा ने बताया कि विहिप के पूर्व जिला अध्यक्ष एवं अवस्थी ग्रुप अफ इंस्टीट्यूट के निदेशक भास्कर अवस्थी अपनी पत्नी के साथ शुक्रवार देर शाम स्कूटी से अपने घर जा रहे थे कि इसी दौरान आंबेडकर चौराहे के निकट बंबी रोड पर अज्ञात बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी। उन्होंने बताया कि कंधे में गोली लगने से भास्कर घायल हो गए।

कांवड़ यात्रा : बैठक में मंडलायुक्त ने दिए निर्देश

सहारनपुर, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

सहारनपुर मंडल के तीनों जनपदों शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के डीएम, एसएसपी और अन्य विभागीय अधिकारियों की शनिवार को सहारनपुर के सर्किट हाउस में कमिश्नर डा ऋषिकेश भाष्कर यशोद ने समीक्षा बैठक ली और कांवड़ यात्रा को सफल बनाने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित की। डा यशोद ने अधिकारियों से उठाए गए कदमों और तैयारियों की जानकारी ली।

डीआइजी सहारनपुर रेंज अजय साहनी ने निर्देश दिए कि कांवड़ शिविर संचालकों को समय से अनुमति दी जाए और अनुमति देते समय अधिकारी यह भी सुनिश्चित करें कि शिविर संचालक सभी शासकीय निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। कंट्रोल रूम में संबंधित विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी।

डीआइजी अजय साहनी ने निर्देश दिए कि बैरियरों पर रिफलेक्टर लगाए जाएं। कमिश्नर डा यशोद ने सभी अधिकारियों से समन्वय बनाकर अपने उत्तरदायित्वों का सक्रिय ढंग से निवर्हन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पूरे कांवड़ यात्रा के दौरान सामाजिक सौहार्द बना रहे, इसका भी ख्याल रखना है।

सावन माह में रविवार को खुलेंगे निजी विद्यालय, सोमवार को रहेगा अवकाश

वाराणसी, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

भोले की नगरी वाराणसी के विद्यालयों के लिए प्रशासन ने बनाई नई समय सारिणी

महादेव की नगरी काशी में उनके प्रिय माह सावन में करोड़ों भक्त आते हैं। सोमवार को उनकी संख्या लाखों में होती है। ऐसे में पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने सावन माह के सोमवार को निजी स्कूल-कालेजों को बंद रखने का निर्णय लिया है। स्कूल सोमवार की जगह रविवार को खुलेंगे और सोमवार को बंद रहेंगे। इस फैसला का जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने भी स्वागत करते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है।

पूर्वांचल स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राहुल सिंह ने शनिवार को बताया कि काशी में शिव भक्त यूं तो साल भर आते हैं पर सावन में उनकी संख्या बढ़ जाती है। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी सावन के सोमवार को स्कूल-कालेजों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सभी स्कूल सावन महीने में रविवार को खुलेंगे और पढ़ाई होगी। राहुल सिंह ने कहा- श्रीकाशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद काशी विश्वनाथ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ गई है। ऐसे में होने वाले रुट डायवर्जन में स्कूली बसें फंस जाएंगी जिसपर बस में बैठे बच्चों को असुविधा न हो और वो समय पर अपने घर पहुंच पाए इसके लिए हमने पूर्व की भांति यह व्यवस्था लागू कर दी है। इस नई समय सारिणी को लेकर संबंधित विभागों की ओर से भी आवश्यक निर्देश दिए जा चुके हैं। इसकी चर्चा आसपास के क्षेत्र में खूब है।

मारपीट के आरोप में 18 एमबीबीएस छात्रों पर मुकदमा दर्ज

हापुड़, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

पिलखुवा के सरस्वती चिकित्सा महाविद्यालय के बास्केटबाल मैदान में दो छात्राओं व छात्र के साथ मारपीट की गई। विरोध पर आरोपित छात्रों ने कालेज के पास स्थित एक कैफे में छात्र-छात्राओं को पीटा।

पुलिस ने छह नामजद और 12 अज्ञात छात्रों के खिलाफ रपट दर्ज की है। जीबी नगर के थाना बिसरख के गांव खैरपुर गुज्जर निवासी विशाल गौतम ने रपट लिखाई है कि उसके साथ कालेज के ही कुछ छात्रों ने मारपीट की।

सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत, दो घायल

गोंडा, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

जिले के अयोध्या-गोंडा राजमार्ग पर शुक्रवार शाम को दो मोटर साइकिलों में आमने-सामने की टक्कर में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि दो अन्य जख्मी हो गए। मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, जबकि घायलों को उपचार के लिए मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिले के वजीरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंडा-अयोध्या राजमार्ग पर चंदापुर महोलिया के पास दो मोटरसाइकिलों में आमने-सामने की टक्कर हो गई। हादसे में एक मोटर साइकिल पर सवार नवाबगंज थाना क्षेत्र के अकबरपुर निवासी सूरज (19) तथा नगवा निवासी फूलचंद (25) की मौत हो गई। बताया जाता है कि ये दोनों किसी मांगलिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। जबकि दूसरी मोटर साइकिल पर सवार वजीरगंज थाना क्षेत्र के चंदापुर निवासी भगवान दास व उसका पोता राज कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सूचना मिलते ही तत्काल मौके पर पहुंची स्थानीय थाने की पुलिस ने चारों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने फूलचंद और सूरज को मृत घोषित कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को मेडिकल कालेज भेजा गया है। मृतकों के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

बीमारी से परेशान होकर किसान ने की आत्महत्या

इटावा,13 जुलाई (जनसत्ता)। जिले के उसराहार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिपतिया में किसान में बीमारी से तंग आकर फांसी लगा कर जान दे दी। यह जानकारी एसएसपी संजय कुमार ने दी। कुमार ने बताया कि शनिवार को किसान विनोद कुमार (55) ने फांसी लगा कर जान दे दी। सूचना पर स्थानीय पुलिस पहुंची तो जानकारी हुई कि किसान ने बीमारी परेशान होकर पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पेड़ पर विनोद का शव लुंगी के सहारे लटका हुआ था। ग्रामीणों ने परिजनों को इस मामले की सूचना दी।

नाबालिग से बलात्कार, मुकदमा दर्ज

कुशीनगर, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

जिले के रामकोला थाना क्षेत्र में बीती रात गांव में शादी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने गई 11 साल की मासूम के साथ दरिंदों ने बलात्कार किया। आरोपी मासूम को जबरदस्ती एकांत में ले गए और वहां पर उससे बलात्कार किया। जब बच्ची बेहोश हो गई तो वहां से आरोपी फरार हो गए। नाबालिग की हालत गंभीर बनी हुई है।

इस घटना की जानकारी जैसे ही रामकोला थाने को मिली, पुलिस टीम मौके पर पहुंच कर मामले की जांच की। पीड़िता को रामकोला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर प्राथमिक उपचार के बाद स्थानीय चिकित्सक ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। पुलिस ने इस विषय पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

बदमाश गिरफ्तार

मोदीनगर, 13 जुलाई (जनसत्ता)।

निवाड़ी थाना के खिंदौड़ा रसूलपुर धौलड़ी मार्ग पर 21 जून की रात्रि पप्पू व उसके पुत्र शाहनवाज की हत्या के आरोपी इनामी बदमाश आसिफ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

इससे पूर्व पुलिस एक अन्य 50 हजार के इनामी दीपक सहित छह आरोपितों को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। पुलिस के अनुसार पूछताछ के दौरान आसिफ ने बताया कि उसने मृतकों के आने-जाने की रैकी कर मुखबरी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वह घटना वाले दिन शाम से ही मृतकों की रैकी करने लगा था और पल-पल की सूचना आरोपितों को देता रहा।

IndiaShelter Home Loans इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय : प्लॉट-15, छठा तल, सेक्टर-44, इंस्टीट्यूशनल एरिया, गुरूग्राम, हरियाणा-122002.

शाखा कार्यालय : 143, द्वितीय तल, मेन रोड फेसिंग (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), सिविल लाइन्स, बरेली-243001, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010

सार्वजनिक सूचना – अचल सम्पत्ति की बिक्री के लिए नीलामी

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 9(1) के तहत]

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन (आईएसएफसी) (प्रतिभूत लेनदार) के पास बंधक अचल सम्पत्ति/यों की बिक्री हेतु सूचना

एतद्द्वारा सर्व साधारण को और विशेष रूप से कर्जदार(रों), सह-कर्जदार(रों) तथा गारंटर(रों) अथवा उनके कानूनी वारिस/सों प्रतिनिधियों को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति/यां, जिनका कब्जा आईएसएफसी (प्रतिभूत लेनदार) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है, नीचे वर्णित कर्जदारों, सह-कर्जदारों अथवा गारंटरों से बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 31-07-2024 को "जैसी है जहां है", जैसी है जो है" तथा "जो भी है वहां है" आधार पर बेची जाएंगी। सुरक्षित मूल्य और धरोहर राशि जमा नीचे वर्णित की गई है। सार्वजनिक नीलामी में भाग लेने के लिए ईएमडी राशि युक्त सीलबंद लिफाफा आईएफएससी के प्राधिकृत अधिकारी के पास 30-07-2024 को अथवा पूर्व अप. 5 बजे तक शाखा/कार्पोरेट कार्यालय : 143, द्वितीय तल, मेन रोड फेसिंग (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), सिविल लाइन्स, बरेली-243001, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 में जमा करना होगा।

ऋण खाता सं.	कर्जदार(रों)/सह-कर्जदार(रों)/गारंटर(रों) /कानूनी वारिस(सों)/कानूनी प्रतिनिधि का नाम	मांग सूचना की तिथि तिथि तक बकाया राशि	कब्जा का प्रकार (प्रलक्षित/ भौतिक के तहत)	सुरक्षित मूल्य	धरोहर राशि
CHL100004710/A P-0783635	1. श्री/श्रीमती रेशमा बी 2. श्री/श्रीमती अजीजुद्दीन	21-06-2021 रू. 8,42,724.11 (रुपए आठ लाख बयालीस हजार सात सौ चौबीस तथा पैसे ग्यारह मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रू. 7,00,000/-	रू. 70,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति खसरा नंबर 348, ग्राम मोहनपुर निकट राठौर आटा चक्की, नकटिया उजाला एन्क्लेव, बरेली, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी – पूरब : नूर उद्दीन खान का प्लॉट, पश्चिम : आरिफ का प्लॉट, उत्तर : रास्ता, दक्षिण : विक्रेता की सम्पत्ति					
HL11CHLONS000005057495/AP-10129081	1. श्री/श्रीमती शांति वर्मा, 2. श्री/श्रीमती तिलक राम वर्मा	14-09-2023 रू. 20,76,109.60/- (रूपए बीस लाख छहत्तर हजार एक सौ नौ तथा पैसे साठ मात्र)	सांकेतिक कब्जा	रू. 22,00,000/-	रू. 2,20,000/-
सम्पत्ति का वर्णन : सम्पत्ति के सभी अंश एवं खंड : सम्पत्ति मकान क्षेत्रफल परिमाप 700 वर्ग फीट यानी 65.055 वर्ग मीटर, खसरा नंबर 971 मिन के भाग पर निर्मित, स्थित सरस्वा, परगना-लखनऊ, तहसील-सरोजिनी नगर, जिला-लखनऊ, उत्तर प्रदेश, चौहद्दी – पूरब : प्रज्ञा सिंह का प्लॉट, पश्चिम : 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, उत्तर : अन्य व्यक्ति का प्लॉट, दक्षिण : फूल चन्द्र यादव का मकान					

नियम और शर्तें :

1) निर्धारित निविदा/बोली प्रपत्र तथा बिक्री के नियम और शर्तें शाखा कार्यालय : 143, द्वितीय तल, मेन रोड फेसिंग (आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर), सिविल लाइन्स, बरेली-243001, बी-3/10, डीके टावर, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ - 226 010 से प्रत्येक कार्य दिवस को पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 5.00 बजे तक प्राप्त किए जा सकते हैं।

2) अचल सम्पत्ति सुरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेची जाएगी।

3) उपरोक्त सम्पत्ति/यों के क्रय हेतु प्रस्तुत सभी बोलियों/निविदाओं के साथ उपरिवर्णित अनुसार धरोहर राशि संलग्न करनी होगी। ईएमडी "इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड" के पक्ष में होनी चाहिए। असफल बोलीदाताओं की ईएमडी राशि, नीलामी के बाद, वापस की जाएगी।

4) उच्चतम बोलीदाता को सफल बोलीदाता घोषित किया जाएगा परंतु शर्त यह है कि वह बोली देने हेतु कानूनी रूप से योग्य होना चाहिए और कि बोली राशि सुरक्षित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। प्राधिकृत अधिकारी को उच्चतम बोली अस्वीकार करने का विवेकाधिकार होगा, यदि प्रस्तावित राशि उसको स्वीकार करने हेतु अपर्याप्त प्रतीत होती है।

5) भविष्यलक्षी बोलीदाता भेंट का समय पूर्व निर्धारित कर सम्पत्ति का निरीक्षण 26-07-2024 को पूर्वा. 11.00 बजे तथा अप. 5.00 बजे के बीच कर सकते हैं।

6) सफल बोलीदाता घोषित किए जाने वाले व्यक्ति को, घोषणा के तत्काल पश्चात, क्रय रशि/उच्चतम बोली की 25 प्रतिशत राशि, जिसमें ईएमडी राशि सम्मिलित होगी, प्राधिकृत अधिकारी के पास 24 घंटे के भीतर जमा करनी होगी और इसके जमा करने में चूक करने पर सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी।

7) उपरोक्तानुसार आरंभिक राशि जमा करने के बाद, क्रय राशि की शेष राशि, क्रेता द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को सम्पत्ति की बिक्री पुष्टि की तिथि से, उस दिन को छोड़कर, 15वें दिन को अथवा पूर्व, या 15वां दिन रविवार या अवकाश दिवस होने की स्थिति में 15वें दिन के बाद पहले कार्यदिवस को अदा करनी होगी।

8) उपरिवर्णित अवधि के भीतर भुगतान में चूक की स्थिति में, सम्पत्ति नई नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा बिक्री के लिए प्रस्तुत की जाएगी। जमा की जा चुकी राशि ईएमडी सहित इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा जब्त कर ली जाएगी तथा सम्पत्ति के संबंध में चूककर्ता क्रेता के सभी दावे समाप्त माने जाएंगे।

9) उपरोक्त बिक्री आईएसएफसी द्वारा अंतिम स्वीकृति के अधीन होगी, इच्छुक पार्टियों से अनुरोध है कि सांविधिक और अन्य बकाया जैसेकि बिक्री/सम्पत्ति कर, बिजली बकाया तथा सोसायटी बकाया की जांच/पुष्टि संबंधित विभागों/कार्यालयों से कर लें। कम्पनी सम्पत्ति पर किसी बकाया के भुगतान की जिम्मेदारी नहीं लेगी।

10) 1 प्रतिशत टीडीएस, यदि कोई, उच्चतम बोलीदाता द्वारा उच्चतम घोषित बोली राशि पर देय होगा। उच्चतम बोलीदाता को भुगतान कम्पनी के पैन में करना होगा तथा चालान की प्रति कम्पनी में प्रस्तुत करनी होगी।

11) बिक्री पूर्णतया इस विज्ञापन में और निर्धारित निविदा प्रपत्र में समाविष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी।

12) सफल बोलीदाता/क्रेता को बिक्री प्रमाणपत्र पंजीकृत करवाने के लिए कानून के अनुसार लागू सभी स्टाम्प ड्यूटी, पंजीकरण शुल्क और अनुषंगी खर्चे वहन करने होंगे।

13) प्राधिकृत अधिकारी को बोली स्वीकार या अस्वीकार करने अथवा बिना कोई कारण बताए निविदा प्रास्थगित/स्थगित/निरस्त करने और बिना कोई पूर्व सूचना दिए इस बिक्री के नियमों एवं शर्तों में संशोधन करने का पूर्ण अधिकार है।

14) इच्छुक बोलीदाता श्री सुधीर तोमर से मोबाइल नंबर + 91 98184 60101 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

कर्जदार/गारंटर/बंधकदाता को 15 दिन का बिक्री नोटिस

एतद्द्वारा उपरिवर्णित कर्जदार/बंधकदाता/गारंटरों को सूचना दी जाती है कि वे धारा 13(2) के तहत मांग सूचना में वर्णितानुसार राशि उस पर अद्यतन ब्याज और खर्चों सहित, नीलामी की तिथि से पहले चुकता कर दें, जिसमें असफल रहने पर सम्पत्ति नीलाम की जाएगी और शेष बकाया राशि, यदि कोई, आपसे ब्याज और लागत सहित वसूल की जाएगी।

तिथि : 14-07-2024
स्थान : लखनऊ, बरेली

वास्ते इंडिया शेल्टर फाइनैंस कार्पोरेशन लि., प्राधिकृत अधिकारी
श्री सुधीर तोमर मोबाइल नंबर + 91 98184 60101

ऐक्सिस बैंक लि0 **कब्जे की नोटिस**

रिटेल एसेट्स सेंटरः प्रथम तल, जी-4/5 बी सेंटर-4, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ उ0प्र0- 226010
रजिस्टर्ड ऑफिसः (त्रिशूल), तृतीय तल, समराथेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन के पास, एलिसब्रिज, अहमदाबाद-380006

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, ऐक्सिस बैंक लि0 के प्राधिकारी, न सिक्योरिटाइजशन एण्ड रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ फाइनेन्शियल एसेट्स एण्ड एन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002 के अन्तर्गत तथा सिक्योरिटी इंटरेस्ट (इंफोर्समेंट) रूल, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग नोटिस जारी किये गये। उक्त वर्णित उधारकर्ता राशि का भुगतान करने करने में असफल रहे है, अतः उक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से एवं सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उन्हें उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित उक्त एक्ट की धारा 13(4) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कब्जा ले लिया है। उपरोक्त वर्णित उधारकर्ताओं को विशेष रूप से तथा सर्वसाधारण को एतद्द्वारा सावधान किया जाता है कि उक्त सम्पत्ति के साथ कोई सौदा न करें तथा उक्त सम्पत्ति के साथ किया जाने वाला कोई सौदा एक्सिस बैंक लि0 के साथ उक्त नोटिस में वर्णित वार्षिक ब्याज, अनुशंगी व्यय, लागत, प्रभार इत्यादि समेत से प्रभावी, मॉर्टगेज के विषयाधीन होगा। ऋणी/सह-ऋणी/बंधककर्ता एवं जमानतकर्ता का ध्यान सरफेसी एक्ट की धारा 13(8) की ओर आकृष्ट किया जाता है कि तय समय सीमा में बन्धक सम्पत्ति को रीडीम (मोचन) कर सकते हैं।

खातेदार/गारन्टरों का नाम एवं पता	बंधक सम्पत्ति का विवरण	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि / मांग सूचना की तिथि / कब्जे की तिथि
श्री जितेन्द्र सिंह (ऋणी) पुत्र श्री विनय कुमार सिंह पता 1- क्वाटर नं0 879 टाईप-II सेक्टर 8 एसपीजी कॉम्प्लैक्स द्वारका, न्यू दिल्ली न्यू दिल्ली 110007, पता 2- टाईप-आईसी-99, पुलिस लाइन, मिर्जापुर, उ0प्र0 231001, पता 3- सी/ओ एसओ-2(सेक्शन ऑफिसर) मृत्युंजय कुम 901, 879 टाईप-3, एसपीजी कॉम्प्लैक्स द्वारका न्यू दिल्ली दिल्ली 110001, श्री विनय कुमार सिंह (सह-ऋणी) पुत्र श्री उमा शंकर सिंह, श्रीमती निर्मला देवी (सह-ऋणी) पत्नी श्री विनय कुमार सिंह दोनों का पताः 1. 23-ए/1, मोतीलाल नेहरू बेलबिदियर प्रेस कम्पाउण्ड इलाहाबाद उ0प्र0 211001, पता 2. 330 बी, करहीया खास, गाजीपुर, उ0प्र0- 232339	भूमि/संपत्ति आवासीय प्लॉट आराजी नं0 255, मौजा बंधवटहीरपुर, परगना-झांसी, तहसील फूलपुर, जिला इलाहाबाद, उ0प्र0, एरियाः 151.2 वर्ग मी., सम्पत्ति श्रीमती निर्मला देवी के नाम। **चौहद्दीः** पूर्वः अन्य का प्लॉट, पश्चिमः रोड, **उत्तरः** अन्य की भूमि, **दक्षिण** : सम्पत्ति का भाग।	रू0 6,29,189.00 दि. 23.02.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 23.02.2024 / 09.07.2024
श्रीमती शकुन्तला देवी (ऋणी) पत्नी श्री देव नाथ हरजन पता-ग्राम-मनिकाडीह, पोस्ट-हरैया मनिकाडीह पोस्ट-हरैया, मनिकाडीह, आजमगढ़, उ0प्र0-276127, श्री देव नाथ हरजन (सह-ऋणी) पुत्र श्री झारखंडी हरजन पता(1)- 371/1, भण्डारी रोड़, बालाजी नगर, भिवांडी, थाने, महाराष्ट्र-421305, श्री झारखण्डी (सह-ऋणी) पुत्र श्री भुवनेश्वर पता 1- मनिकाडीह पोखरा, मनिकाडीह, आजमगढ़, हरैया, उ0प्र0-276127 पता 2- खाता नं0 57, गाटा नं0 187 (एम) मौजा-मनिकाडीह, परगना एवं तहसील-सगड़ी, जिला-आजमगढ़ उ0प्र0-276136	भूमि/संपत्ति रिहायशी/व्यवसायिक खाता नं0 57, गाटा नं0 187 (एम) मौजा-मनिकाडीह, परगना एवं तहसील-सगड़ी, जिला-आजमगढ़ उ0प्र0-276136, एरिया-800.00 वर्ग मी., सम्पत्ति श्री झारखण्डी के नाम। **चौहद्दी वैल्यूएशन रिपोर्ट के अनुसारः** पूर्वः सरकारी खरंजा, पश्चिम : श्री केवतन का खेत, उत्तर : श्री झारखण्डी का खेत दक्षिण : सरकारी रोड़।	रू0 2251041.38 रू0 972.00 दि. 30.11.2023 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 02.12.2023 / 09.07.2024
श्री अवधेश (ऋणी) पुत्र श्री लक्ष्मीकान्त सिंह एवं श्री लक्ष्मीकान्त पुत्र सिंह (सह-ऋणी) पुत्र श्री चमारू दोनो का पता-परनकुण्डा जगदीशपुर आजमगढ़, उ0प्र0-276124, श्रीमती मानती (सह-ऋणी) पत्नी श्री लक्ष्मीकान्त सिंह, पता(1)- परनकुन्डा, जगदीशपुर, आजमगढ़, उ0प्र0-276124, पता (2)- प्लॉट गाटा नं0 609, ग्राम/मोहल्ला-लालघाट, परगना-सगड़ी, तहसील-सगड़ी, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276124	भूमि/संपत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) मकान पर गाटा नं0 609, ग्राम/मोहल्ला लालघाट, परगना-सगड़ी तहसील-सगड़ी, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276124, एरिया-22 वर्ग मी0, सम्पत्ति श्रीमती मानती, **चौहद्दीः** पूर्वः दामोदर गुप्ता का मकान, पश्चिमः श्री ओम प्रकाश गुप्ता का मकान, उत्तरः दामोदर गुप्ता की भूमि, दक्षिणः लालघाट से रौनापार रोड़।	रू0 422474.88 रू0 106015.00 दि. 13.03.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 14.03.2024 / 09.07.2024
श्री विजयप्रताप तिवारी (ऋणी) पुत्र स्व0 श्री भगवत तिवारी पता 1- ग्राम-महोली, पोस्ट महोली, तरावा, आजमगढ़, उ0प्र0-276123 पता 2- गाटा नं0 740मिन., खाता नं0 00362 एवं खसरा नं0 740 मिन, ग्राम-महोली, परगना-देवगांव, तहसील-मेहनगर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276123	भूमि/संपत्ति (रिहायशी/व्यवसायिक) स्थित गाटा नं0 740 मिन, खाता नं0 00362 एवं खसरा नं0 740 मिन, ग्राम-महोली, परगना-देवगांव, तहसील-मेहनगर, जिला-आजमगढ़, उ0प्र0-276123, एरिया-700 वर्ग मी. (0.70 हेक्टेयर), सम्पत्ति विजय प्रताप तिवारी के नाम। **चौहद्दीः** पूर्वः अशोक का खेत, पश्चिमः राकेश एवं विजय प्रताप (ग्राहक) का खेत , उत्तरः 25 फीट चौड़ा रोड़ (कबूतार से जयनगर), दक्षिणः विजय प्रताप (ग्राहक) का खेत।	रू0 4008526.60 रू0 29990.90 दि. 20.03.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 20.03.2024 / 09.07.2024
मै0 जय मां दुर्गा बिल्डिंग मटेरीयल स्टोर (ऋणी), पता-नई बस्ती अनागपुर पाली, नई बस्ती अनागपुर पाली, शाहाबाद, हरदोई, उ0प्र0-241123, श्री राघवेन्द्र (प्रोपराइटर) पुत्र श्री आनन्द प्रकाश पता(1)- नई बस्ती, हरदोई पाली, उ0प्र0-241123, पता(2)-खसरा नं0 1441(एम), ग्राम-नई बस्ती, पोस्ट-अनागपुर, तहसील-शाहाबाद, निकट सरकारी प्राइमरी स्कूल, नई बस्ती, जिला-हरदोई, उ0प्र0-241124, श्री सुमित कुमार (सह-ऋणी) पुत्र श्री राघवेन्द्र पता-नई बस्ती, नई बस्ती, हरदोई, पाली, उ0प्र0-241123	भूमि/संपत्ति स्थित खसरा नं0 1441 (एम), ग्राम-नई बस्ती, पोस्ट-अनागपुर, तहसील-शाहाबाद, निकट सरकारी प्राइमरी स्कूल, नई बस्ती, जिला-हरदोई, उ0प्र0-241124, एरिया- 497 वर्ग मी. (330.00 वर्ग मी. सेल डीड 1 के अनुसार एवं 167 वर्ग मी. सेल डीड 2 के अनुसार) सम्पत्ति श्री राघवेन्द्र के नाम। **चौहद्दीः** पूर्व : श्री अशोक कुमार का खेत, पश्चिमः श्रीकांत की खाली भूमि, उत्तरः रोड़, दक्षिणः श्री राम बाबू की खाली भूमि।	रू0 6034432.35 रू0 123210.78 दि. 02.04.2024 तक + देय ब्याज एवं अन्य खर्चे / 02.04.2024 / 12.07.2024

दिनांकः 14.07.2024 प्राधिकृत अधिकारी, एक्सिस बैंक लि0

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा-102 के अंतर्गत)

मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के निजी गारंटर डॉ. माता प्रसाद अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत 19/एक्स-1, कृष्णापुरम, जीटी रोड, कानपुर-208007 (यूपी) (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) में रहने वाले डॉ. माता प्रसाद अग्रवाल के विरुद्ध आदेश सीपी (आईबी) संख्या 03/एएलडी/2021 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश 09-07-2024 को दिया है (आदेश माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पर 13-07-2024 को अपलोड किया गया)।

डॉ. माता प्रसाद अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे सबूत के साथ इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिन के भीतर यानी 04-08-2024 तक या उससे पहले एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर श्री विजेंद्र शर्मा को इस पते पर प्रस्तुत करें:- वीआरएसए दिवाला पेशेवर एलएलपी, बिल्डिंग नंबर 11, तीसरी मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092, मेल आईडी- vijender@vsa.net.in

लेनदारों को अपना दावा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के तहत निर्धारित अनुसार फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04-08-2024 होगी। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से, या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

टिप्पणी : सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा दी जाएगी।

हस्ता/-
सीएमए विजेंद्र शर्मा
डॉ. माता प्रसाद अग्रवाल के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर
मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के निजी गारंटर
आईपी पंजीकरण संख्या - आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-एन00003/2016 2017/10022
पताः वीआरएसए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी
11 (तीसरी मंजिल) हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
दिनांकः 14-07-2024 ई-मेल आईडीः -vijender@vsa.net.in
स्थानः उत्तर प्रदेश एएफए 02.10.2024 तक वैध

सार्वजनिक सूचना
(दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 की धारा-102 के अंतर्गत)

मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के निजी गारंटर श्री पवन कुमार अग्रवाल के लेनदारों के ध्यानार्थ।

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ ने आईबीसी, 2016 की धारा 100 के अंतर्गत 19/एक्स-1, कृष्णापुरम, जीटी रोड, कानपुर-208007 (यूपी) (समाधान पेशेवर को अंतिम ज्ञात पता) में रहने वाले श्री पवन कुमार अग्रवाल के विरुद्ध आदेश सीपी (आईबी)संख्या 02/एएलडी/2021 के तहत दिवाला समाधान प्रक्रिया प्रारंभ करने का आदेश 09-07-2024 को दिया है (आदेश माननीय एनसीएलटी की वेबसाइट पर 13-07-2024 को अपलोड किया गया)।

श्री पवन कुमार अग्रवाल के लेनदारों से अनुरोध है कि वे अपने दावे सबूत के साथ इस नोटिस के जारी होने की तारीख से 21 दिन के भीतर यानी 04-08-2024 तक या उससे पहले एनसीएलटी, इलाहाबाद बेंच द्वारा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के प्रावधान के तहत नियुक्त समाधान पेशेवर श्री विजेंद्र शर्मा को इस पते पर प्रस्तुत करें:- वीआरएसए दिवाला पेशेवर एलएलपी, बिल्डिंग नंबर 11, तीसरी मंजिल, हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092, मेल आईडी- vijender@vsa.net.in

लेनदारों को अपना दावा भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कॉर्पोरेट देनदारों के लिए व्यक्तिगत गारंटरों के लिए दिवाला समाधान प्रक्रिया) विनियम, 2019 के विनियम 7 के तहत निर्धारित अनुसार फॉर्म बी में समाधान पेशेवर को प्रस्तुत करना होगा। लेनदारों के दावे प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 04-08-2024 होगी। लेनदार अपने दावे इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से, या कूरियर, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं।

दावों को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित प्रपत्र निम्नलिखित लिंक से डाउनलोड किया जा सकता है: :https://ibbi.gov.in/en/home/downloads

टिप्पणी : सबूत के साथ झूठे या भ्रामक दावे प्रस्तुत करने पर दिवाला और दिवालियापन संहिता, 2016 और किसी भी अन्य लागू कानूनों के प्रावधानों के अनुसार दंड या कारावास की सजा दी जाएगी।

हस्ता./-
सीएमए विजेंद्र शर्मा
श्री पवन कुमार अग्रवाल के दिवालियापन समाधान प्रक्रिया में समाधान पेशेवर
मेसर्स श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के निजी गारंटर
आईपी पंजीकरण संख्या – आईबीबीआई/आईपीए-003/आईपी-एन00003/2016 2017/10022
पताः वीआरएसए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी
11 (तीसरी मंजिल) हरगोविंद एन्क्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली-110092
ई-मेल आईडीः -vijender@vsa.net.in
एएफए 02.10.2024 तक वैध
दिनांकः 14-07-2024
स्थानः उत्तर प्रदेश

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क
अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना
वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालयः- 9वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22 कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-110001, फोनः-011-23357171, 23357172, 23705414, web:- www.pnbhousing.com
लखनऊ शाखाः-लखनऊ शाखाः-पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, 307 और 308, तृतीय तल, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, साइबर हाइट्स, विभूति खंड गोमती नगर लखनऊ -226010.

इसके द्वारा सामान्य रूप से जनता को और विशेष रूप से कॉलम संख्या-ए में दर्शाए गए उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि कॉलम संख्या-डी में वर्णित नीचे वर्णित अचल संपत्ति सुरक्षित के पास गिरवी/चार्ज की गई है। लेनदार, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्ज़ा मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सिक्योर्ड क्रेडिटर के अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है (जैसा कि कॉलम संख्या-सी में वर्णित है), "जैसा है जहां है, जैसा है जो है" के आधार पर बेचा जाएगा। नीचे उल्लिखित विवरण के अनुसार "है और जो कुछ भी है उसका आधार है"। इसके द्वारा संबंधित के उधारकर्ता(ओं)/बंधककर्ता(ओं)/कानूनी उत्तराधिकारियों, कानूनी प्रतिनिधि, (चाहे ज्ञात हो या अज्ञात), निष्पादक(ओं), प्रशासक(यों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(ओं) को नोटिस दिया जाता है। उधारकर्ता/बंधककर्ता(ओं) (मृत्यु के बाद से) को आज की तारीख में संशोधित सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम -8(6) और 9 के तहत कॉलम संख्या-ए में दर्शाया जा सकता है।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया मेसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड/सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.pnbhousing.com पर दिए गए लिंक को देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर (स) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
HOU/LUC/0721/895853, बी.ओ. लखनऊ, राहुल तिवारी/श्रीमती रुचि मिश्रा पत्नी राहुल तिवारी	29,31,867.35 तक रु. 11.10.2023	प्रतीकात्मक कब्जा	प्लॉट नं 14, खसरा नं 153 एसए, ग्राम बहादुरपुर, वार्ड शंकरपुरवा, अभिषेकपुरी कॉलोनी, कुर्सी रोड लखनऊ 226021	रु. 2034000	रु. 203400	29.07.2024	रु. 10000	20.07.2024, पूर्वा 10:00 बजे से अप. 5:30	30.07.2024 अप.12.00 बजे से अप. 2:30	Not Known

'उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्रभारों इत्यादि सहित।' "पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के सर्वश्रेष्ठ ज्ञान और जानकारी के अनुसार, उपरिवर्णित अचल/प्रतिभूत आस्तियों के संबंध में कोई अन्य ऋणभार/दावे नहीं हैं, सिवाय उनके जो कालम नंबर-के में वर्णित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त इन ऋणभारों का भुगतान/अदायगी सफल क्रेता/बोलीदाता द्वारा उसकी अपनी व्यवस्था द्वारा की जाएगी। सफल क्रेता(ओं)/बोलीदाताओं से वर्णित ऋणभारों की सत्यता का अभिनिश्चयन स्वतंत्र रूप से करने का अनुरोध किया जाता है।

1. आज की तिथि तक, पीएनबीएचएफएल/पीएनबीएचएफएल के प्राधिकृत अधिकारी पर उपरोक्त अचल सम्पत्तियों/प्रतिभूत आस्तियों की बिक्री, हस्तांतरण तथा/अथवा निपटान के संबंध में कोई प्रतिबंध आदेश तथा/अथवा न्यायालय निषेधादेश लागू नहीं है।
2. संभावित क्रेता/बोलीदाता तथा इच्छुक पार्टियां कालम नंबर-के में वर्णित, कार्यवाही/पारित आदेश इत्यादि, यदि कोई, में बहस, जिसमें पीएनबीएचएफएल के पास उपलब्ध उसके स्वामित्व के साथ संबंधित दस्तावेजों का शीर्षक शामिल है परंतु उसी तक सीमित नहीं है, का निरीक्षण स्वतंत्र रूप से कर सकती हैं तथा सभी संदर्भों में अपनी संतुष्टि अपनी निविदा/बोली आवेदन प्रस्तुत करने अथवा ऑफर(स) प्रस्तुत करने से पहले कर सकती हैं। बोलीदाता(ओं) को बोली प्रपत्र के साथ इस नीलामी के नियमों और शर्तों पर हस्ताक्षर करने होंगे।
3. कृपया ध्यान दें कि प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(3) के अनुसार, बोलीदाता/खरीदार कानूनी रूप से बिक्री मूल्य की राशि का 25: (ब्याना सहित) जमा करने के लिए बाध्य है। पैसा, यदि कोई हो, जमा किया गया) उसी दिन या अगले कार्य दिवस की तुलना में बाद में नहीं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 9(2) के अनुसार सुरक्षित लेनदार द्वारा बिक्री मूल्य का 25: प्राप्त करने के बाद ही (बोली लगाने वाले) के पक्ष में बिक्री की पुष्टि की जा सकती है। शेष 75: बिक्री पुष्टि पत्र की पावती की तारीख से 15 दिनों के भीतर क्रेता द्वारा बिक्री प्रतिफल राशि जमा करनी होगी और इस तरह की जमा राशि के डिफ़ॉल्ट होने पर, संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा।
4. **सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड** ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री संचालन में प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेट कार्यालय पता : प्लॉट नंबर 68, तृतीय तल, सेक्टर-44, गुरूग्राम, हरियाणा-122003 वेबसाइट - **www.bankeauctions.com** सहायता करेगी। संपत्ति के निरीक्षण या बोली दस्तावेज प्राप्त करने और किसी अन्य प्रश्न या पंजीकरण से संबंधित किसी भी सहायता के लिए, पीएनबीएचएफएल प्राधिकृत अधिकारी **अनुपम त्रिपाठी संपर्क नंबर 1800 120 8800**, या सी 1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अथवा **www.pnbhousing.com** पर देखे

स्थान : लखनऊ दिनांक : 14-07-2024 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड